न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण क्रमांक 742–पीबीआर/16 विरूद्ध आदेश दिनांक 10–12–2015 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त नर्मदापुरम् संभाग होशंगाबाद के प्रकरण कमांक 397/अपील/2009–10

.....

जमनादास आ0कन्हैयालाल गूर्जर
निवासी ग्राम सिराली तहसील सिराली जिला हरदा ..... आवेदक

विरूद्ध

1–नानकराम आ0 गिरधारीलाल
2–रामविलास आ0 गिरधारीलाल
3–श्रीमती मथुराबाई बेवा गिरधारीलाल (मृत)
4–श्रीमती रमाबाई बेवा भगवानदास
5–वंदना पुत्री भगवानदास
6–शीलू पुत्री भगवानदास
7–रामचन्द्र आ. राधाकिशन
8–रामकृष्ण आ. रामनारायण
9–आनंदराम आ. रामनारायण
कमांक 1 से 9 तक निवासी ग्राम सिराली,
तहसील सिराली जिला हरदा
10–गेंदकुंअर बाई पुत्री गिरधारीलाल
11–मौजकुंअरबाई पुत्री गिरधारीलाल
12–विमला पुत्री गिरधारीलाल
कमांक 10, 11, 12 निवासीग्राम झाडपा
तहसील हरदा जिला हरदा
13–अशोक कुमार आ. रामेश
14–पवनकुमार आ. रमेश
15–सावित्रीबाई बेवा रमेश
16–महेश आ. राधाकिशन
17–रतनबाई पुत्री राधाकिशन
18–मीनू पुत्री राधाकिशन
कमांक 13 लगायत 18 निवासी ग्राम
आलमपुरा तहसील रहटगॉव जिला हरदा
19–कलावती पुत्री कन्हैयालाल
20–गणेशीबाई पुत्री कन्हैयालाल
कमांक 19 व 20 निवासी पोखरनी
तहसील टिमरनी जिला हरदा म0प्र0 ..... अनावेदकगण

.....

श्री जीवनराम लूनिया, अभिभाषक–आवेदक
श्री रामकृष्ण विले, अभिभाषक–अनावेदक कमांक 8 व 9
श्री नितिन स्थापक, अभिभाषक–शेष अनावेदकगण

.....

:: आदेश ::

(आज दिनांक 30/8/16 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल ''संहिता'' कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, नर्मदापुरम् संभाग, होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 10–12–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक द्वारा तहसीलदार, सिराली के समक्ष संहिता की धारा 110 सहपठित धारा 114 के अंतर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम सिराली स्थित भूमि सर्वे कमांक 168/1 रकबा 12.382 हेक्टेयर एवं सर्वे कमांक 68 रकबा 5.399 हेक्टेयर उसके एकमात्र स्वामित्व की भूमि है, जो उसे उसके पिता कन्हैयालाल से प्राप्त हुई है । चूंकि शेष सहखातेदार अनावेदकगण को अन्य भूमियां हिस्से में दी जा चुकी है, और वे उस पर मालिक काबिज चले आ रहे हैं, अतः प्रश्नाधीन भूमियों पर से अनावेदकगण का नाम कम किया जाकर आवेदक का नाम यथावत रखा जाये । तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 5/अ–6/2008–09 दर्ज कर दिनांक 18–3–2009 को आदेश पारित किया जाकर प्रश्नाधीन भूमियों से सहखातेगण रमाबाई बेवा भगवानदास, वंदना, शीलू, पुत्रियां भगवानदास, रामविलास, नानकराम पुत्रगण गिरधारी, मथुरा बेवा गिरधारी, गेंदकुंअर, मौजकुंअर, विमला गिरधारी, रमेश, महेश, रामचंद्र पुत्रगण राधाकिशन, रतनबाई, मीनू पुत्रियां राधाकिशन, रामकुंअर, कलावती पुत्रियां कन्हैयालाल के नाम खारिज करते हुए आनंदराम, रामकृष्ण पुत्रगण रामनारायण, विद्याबाई बेवा रामनारायण, जमनादास पुत्र कन्हैयालाल एवं गणेशी पुत्री कन्हैयालाल का नाम यथावत शामिल शरीक रखे जाने के आदेश दिये गये । साथ ही यह भी निर्देश दिये गये कि आवेदक चाहे तो रिकार्ड शुद्धि के पश्चात बटवारा हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं । तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी, खिरकिया जिला हरदा के समक्ष प्रस्तुत प्रथम अपील किए

जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 16–2–2010 को आदेश पारित कर प्रथम अपील निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद के समक्ष प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 10–12–2015 को आदेश पारित किया जाकर अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसीलदार के आदेश निरस्त करते हुए अपील स्वीकार की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के अधिवक्ता द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) अपर आयुक्त द्वारा इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया है कि उत्तरवादी कमांक 1 लगायत 7 एवं 9 व 10 के द्वारा उनके समक्ष अपील प्रस्तुत की गई है, जिसमें शेष अनावेदकगण को पक्षकार नहीं बनाया गया था और न ही इस संबंध में कोई अनुमति प्राप्त की गई थी । अनावेदकगण द्वारा केवल आवेदक को पक्षकार बनाकर अपील प्रस्तुत की गई थी, ऐसी स्थिति में पक्षकार के असंयोजन के कारण अपील प्रचलन योग्य नहीं थी, अतः अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश इसी आधार पर निरस्त किये जाने योग्य है ।

(2) उभयपक्ष एक ही परिवार के सदस्य होकर स्व0कन्हैयालाल के वारिसान है । कन्हैयालाल की दो पत्नियॉ थी । पहली पत्नी से उत्पन्न गिरधारीलाल व राधाकिशन तथा दूसरी पत्नी से उत्पन्न पुत्र जमनादास एवं रामनारायण है । इस प्रकार चारों पुत्रों के मध्य दिनांक 23–4–1953 को पंचों के समक्ष सम्पूर्ण संपत्ति का विभाजन कर पंच फैसला लिखाया गया था, जिसके अनुसार चारों पुत्रों को उनकी संपत्ति प्राप्त होकर राजस्व अभिलेखों में नाम दर्ज हो चुके थे । उक्त विभाजन के समय आवेदक जमनादास नाबालिग था, इसलिये उसका खाता पृथक होकर उसके संरक्षक के रूप में कन्हैयालाल का नाम राजस्व अभिलेखों में अंकित था, जिसका अनुचित लाभ उठाकर कन्हैयालाल की पहली पत्नी के पुत्रों ने अनुचित तरीके से नामान्तरण करा लिया है, और अनावेदकगण द्वारा आवेदक को बटवारे में प्राप्त भूमि को हड़पने का प्रयास किया जा रहा है ।

(3) आवेदक कम पढ़ा लिखा होकर ग्रामीण व्यक्ति है और कानून को नहीं समझता है । उसके बालिग होने के पश्चात् उसके द्वारा अनेकों शिकायत करने के बावजूद भी उसकी सुनवाई नहीं हुई, तब विधिवत् तहसीलदार के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर तहसीलदार द्वारा अतिसूक्ष्मता से प्रकरण के समस्त पहलुओं पर विचार कर उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये दिनांक 18–3–2009 को विधिसंगत आदेश पारित किया गया है, जिसकी पुष्टि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा की गई है, अतः अपर आयुक्त द्वारा अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसीलदार के आदेश में हस्तक्षेप करने में अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है ।

(4) अपर आयुक्त द्वारा इस आधार पर तहसीलदार का आदेश निरस्त करने में त्रुटि की गई है कि तहसीलदार द्वारा सभी हितबद्ध पक्षकारों को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है, जबकि तहसीलदार द्वारा राजस्व अभिलेखों में दर्जशुदा सभी व्यक्तियों को व्यक्तिशः सूचना पत्र तामील कराकर सुनवाई का अवसर देते हुये आदेश पारित किया गया है ।

(5) अनावेदक कमांक 1 लगायत 7 तथा 10 व 11 द्वारा तहसीलदार के समक्ष उपस्थित होकर जबाव प्रस्तुत किया गया है, तत्पश्चात् उनके अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है ।

(6) तहसीलदार द्वारा मृतक कन्हैयालाल की दोनों पत्नियों को इकाई मानकर दस्तावेजों का अवलोकन करते हुये गुणदोष पर विधिसम्मत् आदेश पारित किया गया है, जिसे निरस्त करने में अपर आयुक्त द्वारा अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है ।

(7) तहसील न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 18–3–2009 के उपरांत कन्हैयालाल की द्वितीय पत्नी के वारिसान आवेदक जमनादास, उसकी बहन गणेशीबाई एवं याचिकाकर्ता के भाई रामनारायण के वारिसान विद्याबाई, रामकृष्ण व आनंदराम का नाम राजस्व अभिलेखों में शेष रहा था, और राजस्व प्रकरण कमांक 58/अ–27/2008–09 में पारित आदेश दिनांक 14–9–2009 के माध्यम से उनके मध्य विभाजन स्वीकार किया गया है जिसके अनुसार आनंदराम एवं रामकृष्ण का हिस्सा पृथक किया जाकर विद्याबाई की सहमति के आधार पर उसका नाम

विलोपित किया गया है एवं गणेशीबाई की सहमति के आधार पर गणेशीबाई का नाम जमनादास के साथ संयुक्त रूप से इसलिये दर्ज रखा गया है कि व्यवहार न्यायालय में चल रहे प्रकरण में गणेशीबाई का जो भी अंश घोषित होगा, जिसे वह प्राप्त करने की अधिकारिणी रहेगी । उक्त आदेश दिनांक 14–09–2009 को किसी भी पक्ष द्वारा चुनौती नहीं दिये जाने से वह अंतिम हो गया है ।

(8) गणेशीबाई द्वारा प्रस्तुत व्यवहार वाद कमांक 13–ए/2000 में पारित निर्णय एवं आज्ञाप्ति दिनांक 24–12–09 के अनुसार उसका दावा निरस्त होने से एवं उसका कोई अंश घोषित नहीं होने से तहसीलदार द्वारा दिनांक 16–9–2010 को आदेश पारित कर गणेशीबाई का नाम विलोपित करते हुये प्रश्नाधीन भूमि पर अकेले आवेदक का नाम यथावत् रखा गया है । व्यवहार वाद के उक्त आदेश को अपील में चुनौती दिये जाने पर दिनांक 26–7–14 को आदेश पारित कर अपील भी निरस्त कर दी गई है ।

(9) तहसीलदार के आदेश दिनांक 16–9–2010 के विरूद्ध गणेशीबाई के द्वारा प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई थी और अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 1–6–2011 को आदेश पारित कर त्रुटिपूर्ण निष्कर्ष निकालते हुये प्रकरण प्रत्यावर्तित किया गया था, जिसके विरूद्ध द्वितीय अपील आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर आयुक्त द्वारा दिनांक 12–10–2012 को अपील निरस्त कर दी गई थी । आयुक्त के आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में निगरानी प्रकरण कमांक 3963–एक/12 प्रस्तुत की गई थी, जिसमें इस न्यायालय द्वारा दिनांक 28–2–2013 को आदेश पारित कर अपर आयुक्त व अनुविभागीय अधिकारी के आदेश निरस्त किये जाकर तहसीलदार का आदेश दिनांक 16–9–10 यथावत् रखा गया । इस न्यायालय के आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका कमांक 12025/13 प्रस्तुत की गई थी, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 1–11–2013 को प्रश्नाधीन संपत्ति के संबंध में राजस्व अभिलेखों में यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिये गये है । इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया है, जो माननीय उच्च न्यायालय की अवमानना होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

(10) इस न्यायालय द्वारा दिनांक 28–2–2013 को पारित आदेश के तारतम्य में अपर आयुक्त को आदेश पारित करने का क्षेत्राधिकार ही नहीं रह गया है, इसलिये उनके आदेश क्षेत्राधिकार रहित होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

4/ अनावेदक कमांक 1 लगायत 7 एवं 10 लगायत 20 के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) उभय पक्ष सहित प्रश्नाधीन भूमियों पर 21 व्यक्तियों के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज हैं, जिन्हें बिना सूचना एवं सुनवाई का अवसर दिये तहसीलदार द्वारा दिनांक 18–3–2009 को आदेश पारित करने में अवैधानिकता की गई है ।

(2) तहसीलदार द्वारा अनावेदक कमांक 1 लगायत 7 एवं 10 लगायत 20 के नाम बिना उन्हें पक्ष समर्थन का अवसर दिये राजस्व अभिलेखों से कम करने में विधि की गंभीर भूल की गई है ।

(3) तहसीलदार द्वारा पंच फैसला दिनांक 23–4–1953 पर विचार कर आदेश पारित करने में त्रुटि की गई है, क्योंकि पंच फैसला की अंतर्वस्तु को आवेदक द्वारा सिद्ध नहीं किया गया है, जबकि साक्ष्य से उक्त पंच फैसला सिद्ध किया जाना चाहिए था । चूंकि प्रश्नाधीन पंच फैसला संदिग्ध होने से प्रकरण में स्वत्व का गंभीर प्रश्न उत्पन्न हो गया है, इसलिए तहसीलदार को आदेश पारित करने का क्षेत्राधिकार नहीं था ।

(4) आवेदक द्वारा तहसील न्यायालय में व्यवहार न्यायालय के प्रकरण कमांक 92 अ/95 की प्रति प्रस्तुत कर विचारण न्यायालय को भ्रमित किया गया है, जबकि उक्त वाद में स्वत्व का निर्धारण नहीं हुआ है ।

(5) चूंकि प्रश्नाधीन भूमि पर उभय पक्ष के नाम दर्ज थे, इसलिए तहसीलदार को यह जांच करना चाहिए था कि उनके नाम राजस्व अभिलेखों में विधि अनुसार दर्ज हुए हैं अथवा नहीं ।

(6) विचारण न्यायालय में पंच फैसला की मूल प्रति प्रस्तुत नहीं कर फोटो प्रति प्रस्तुत की गई है, जो कि साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है ।

(7) तहसीलदार द्वारा पटवारी से इस आशय का प्रतिवेदन चाहा गया था कि प्रश्नाधीन भूमि पर वर्तमान में किस–किस के नाम दर्ज हैं, और कितने–कितने सर्वे नम्बर हैं, परन्तु उक्त प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं हुआ, और दिनांक 12–1–2009 को अनावेदकगण द्वारा परिवार का वंशवृक्ष तथा वसीयतनामा प्रस्तुत किया गया है, जिसे अभिलेख पर लेकर वसीयत के संबंध में कोई साक्ष्य संकलित किए बगैर अंतिम आदेश दिनांक 18–3–2009 को पारित किया गया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है ।

(8) आवेदक, अनावेदक कमांक 1 लगायत 7 एवं 10 से 21 के हिस्से की भूमि को अकेला हड़पना चाहता है, इसलिए उनके नाम कम कराकर अपना नाम दर्ज कराया गया है, और इसी कारण अनावेदक कमांक 1 लगायत 7 एवं 10,11 ने अकेले आवेदक को पक्षकार बनाकर प्रथम अपील प्रस्तुत की गई थी, क्योंकि अन्य अनावेदकगण के विरूद्ध उन्हें कोई उपचार नहीं चाहिए था, इसलिए अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत अपील में कोई पक्षकार का असंयोजन नहीं है ।

5/ अनावेदक कमांक 8 व 9 के अधिवक्ता द्वारा लिखित तर्क में आवेदक के अभिभाषक द्वारा उठाये आधारों को दोहराते हुये मुख्य रूप से निम्नलिखित अतिरिक्त आधार उठाये गये है :–

(1) अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने भी अपने आदेश में प्रकरण के इस तथ्य पर विश्वास किया है कि दिनांक 23–4–1953 के पंच फैसला के आधार पर कन्हैयालाल ने अपनी प्रथम पत्नि के पुत्र राधाकिशन एवं गिरधारीलाल को एक ईकाई मानकर उन्हें भूमि का हिस्सा पृथक से प्रदान कर दिया था, जिसका इंद्राज प्र.पी. 01 से 03 के कॉलम नम्बर 12 में उल्लेखित है, किन्तु अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने यह गलत अवधारित किया है कि सन् 1942 से अपीलार्थी एवं उत्तरवादीगण का नाम सहखातेदार के रूप में चला आ रहा है, दरअसल में वर्ष 1953 के पंच फैसले तक अकेले कन्हैयालाल का नाम प्रश्नाधीन संपत्ति सहित संपूर्ण संपत्ति पर दर्ज था, पंच फैसले से चारो पुत्रों के मध्य विभाजन करने के पश्चात् राजस्व अभिलेखों में पृथक–पृथक नाम दर्ज हुये । याचिकाकर्ता एवं उत्तरवादी कमांक 8 एवं 9 के पिता रामनारायण का नाम राजस्व अभिलेखों में

सहखातेदार के रूप में दर्ज रहा है एवं कन्हैयालाल का नाम वल्दियत में दर्ज रहा है, जिसका अनुचित लाभ कन्हैयालाल की प्रथम पत्नि के पुत्रो ने उठाया है, इस महत्वपूर्ण तथ्य की अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने अनदेखी की है । अतः अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 10–12–2015 प्रकरण की समुचित विवेचना कर पारित नहीं किया गया होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है, अपास्त किया जाये ।

(2) तहसील न्यायालय के आदेश दिनांक 14–9–2009 के अनुसार बटवारा होकर भूमि खसरा नम्बर 168/3 उत्तरवादी कमांक 08 एवं 09 के नाम पर दर्ज हुई है, जिसके संबंध में उभयपक्षों में से किसी ने भी आज पर्यन्त उत्तरवादी कमांक 08 एव 09 को विभाजन में प्राप्त उक्त संपत्ति से संबंधित आदेश दिनांक 14–09–2009 को चुनौती नहीं दी है और न ही उत्तरवादी कमांक 08 एवं 09 अधीनस्थ अपीलीय न्यायालयों में पक्षकार रहे हैं । प्रश्नाधीन संपत्ति में से भूमि खसरा नम्बर 68 एवं 168/1 कुल रकबा 15.070 हेक्टेयर संपत्ति जो याचिकाकर्ता को प्राप्त हुई है, उसके संबंध में उत्तरवादी कमांक 21 गणेशीबाई व जमनादास के मध्य विवाद रहा है, उत्तरवादी कमांक 1 लगायत 7 एवं 10 व 11 का विवाद भी याचिकाकर्ता जमनादास को प्राप्त उक्त संपत्ति के लिये ही रहा है, ऐसे में उत्तरवादी कमांक 08 एवं 09 को विभाजन में प्राप्त संपत्ति इस मामले की विवादित संपत्ति नहीं है, अनावश्यक याचिकाकर्ता व उत्तरवादी कमांक 1 लगायत 7 व 10, 11 एवं 21 ने आपस में दुरभि संधि कर उत्तरवादी कमांक 08 एवं 09 को पक्षकार ग्रथित किया है, एवं अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने उत्तरवादी कमांक 08 एवं 09 को सुनवाई का अवसर दिये वगैर त्रुटिपूर्ण आदेश पारित किया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है ।

6/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। तहसीलदार के प्रकरण से स्पष्ट है कि वर्ष 1951–52 में मृतक भूमिस्वामी कन्हैयालाल के नाम दो ग्रामों सिराली एवं दीपगांव खुर्द स्थित सर्वे नम्बर 4, 6, 14, 35, 70, 160, 108 एवं 109 कुल रकबा 92.64 भूमि थी । कन्हैयालाल की दो पत्नियॉ थी, पहली पत्नी के पुत्र राधाकिशन एवं गिरधारी थे एवं

दूसरी पत्नी के पुत्र रामनारायण एवं जमनादास थे । कन्हैयालाल द्वारा अपने जीवनकाल में उपरोक्त भूमियों का बटवारा पंचों से कराया गया । पंचों द्वारा दिनांक 23–4–1953 को पंच फैसला पारित किया, जिसके अनुसार सर्वे नम्बर 4 रकबा 28.30 एकड़ भूमि गिरधारी को, सर्वे नम्बर 06 रकबा 8.55 एकड़ व सर्वे नम्बर 14 रकबा 10.59 एकड़ भूमि राधाकिशन को प्राप्त हुई । सर्वे नम्बर 35 रकबा 13.34 एकड़, सर्वे नम्बर 70 रकबा 0.25 एकड़ रामनारायण एवं जमनादास नाबालिग एवं कन्हैयालाल को प्राप्त हुई । शेष भूमि सर्वे नम्बर 106, 108, 109 रकबा 28.35 एकड़ भूमि कन्हैयालाल के नाम दर्ज रही । पंच फैसले के अनुसार राजस्व अभिलेखों में गिरधारी, राधाकिशन, रामनारायण, जमनादास नाबालिग संरक्षक कन्हैयालाल एवं कन्हैयालाल के नाम उन्हें प्राप्त भूमियों पर दर्ज हुये । मृतक भूमिस्वामी कन्हैयालाल द्वारा दिनांक 23–6–1942 को वसीयतनामा निष्पादित किया गया था, जिसके अनुसार उसके द्वारा अपना 1/5 हिस्सा जमनादास को देने की इच्छा व्यक्त की थी । कालान्तर में वर्ष 1970–71 में हुई चकबन्दी में सर्वे नम्बर 35 का नया सर्वे नम्बर 68 एवं सर्वे नम्बर 106, 108 व 109 का नया नम्बर 168 बना। इस प्रकार प्रश्नाधीन भूमियॉ मृतक रामनारायण के वारिस पुत्रगण आनन्दराम, रामकृष्ण एवं विधवा विद्याबाई तथा जमनादास व गणेशी पुत्री कन्हैयालाल के भूमिस्वामी स्वत्व की भूमियां थी, परन्तु अनावेदक कमांक 1 लगायत 7 व 10 लगायत 20 जो कि गिरधारी एवं राधाकिशन के वारिसान है, ने उपरोक्त भूमियों पर अपने नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज करा लिये, जिसकी उन्हें अधिकारिता नहीं थी। अतः तहसीलदार द्वारा अनावेदकगण के नाम प्रश्नाधीन भूमियों पर से निरस्त करने में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है, क्योंकि जैसा कि ऊपर विश्लेषण किया गया है कि प्रश्नाधीन भूमियों पर गिरधारी एवं राधाकिशन के वारिसान अनावेदक कमांक 1 लगायत 7 व 10 लगायत 20 का कोई स्वत्व नहीं रह गया था और बिना स्वत्व के दर्ज नाम किन्हीं भी परिस्थितियों में स्थिर नहीं रखा जा सकता है । अनावेदक कमांक 1 लगायत 7 एवं 10 लगायत 20 के विद्वान अभिभाषक द्वारा उठाया गया यह आधार मान्य किये जाने योग्य नहीं है कि तहसीलदार द्वारा पंच फैसले को प्रमाणित नहीं किया है, और फोटोकॉपी साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है, क्योंकि उक्त पंच फैसले का कियान्वयन 1953 में ही होकर

पंच फैसले के अनुसार खाते पृथक–पृथक हो गये हैं, इसलिये उसके प्रमाणीकरण की आवश्यकता नहीं है । तहसीलदार द्वारा उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर देकर विस्तृत का आदेश पारित किया है, इसलिये इस संबंध में भी अनावेदक कमांक 1 लगायत 7 व 10 लगायत 20 की ओर से उठाये गये आधार अमान्य योग्य है । यहॉ यह भी विचारणीय प्रश्न है कि तहसीलदार के आदेश के पश्चात् प्रश्नाधीन भूमियों का बटवारा आदेश दिनांक 14–09–2009 से विद्याबाई, आनन्दराम, रामकृष्ण, जमनादास एवं गणेशीबाई के मध्य हो गया है । उक्त आदेश को चुनौती नहीं देने से वह अंतिम हो गया है । इस प्रकार चूँकि तहसीलदार द्वारा वैधानिक एवं न्यायिक आदेश पारित किया गया है, इसलिये उसकी पुष्टि करने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है। जहॉ तक अपर आयुक्त के आदेश का प्रश्न है, अपर आयुक्त द्वारा अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसीलदार के आदेशों को इस आधार पर निरस्त किया गया है कि तहसीलदार द्वारा अनावेदक कमांक 1 लगायत 7 व 10 लगायत 20 का नाम कम करने में उन्हें सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया, उभयपक्ष का नाम वर्ष 1942 से चला आ रहा है और वसीयतनामें में स्वर्गीय कन्हैयालाल द्वारा अपने 1/5 हिस्से को जमनादास को देने की इच्छा व्यक्त की है, परन्तु चारों पुत्रों के नाम भूमियॉ दर्ज रही है और भूमियां पैतृक है, स्वअर्जित नहीं, इसलिये दोनों पत्नियों के पुत्रों का समान हक होगा। अपर आयुक्त के उक्त आधार वैधानिक एवं न्यायिक दृष्टि से उचित नहीं है। कारण तहसीलदार द्वारा उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर देकर आदेश पारित किया गया है । कुछ समय के लिये यह मान लिया जाये कि अनावेदकगण को सुनवाई का अवसर प्राप्त नहीं हुआ है, तब भी उनके द्वारा यह नहीं बतलाया गया है कि उन्हें सुनवाई का अवसर प्राप्त नहीं होने से उनके विरूद्ध तथ्यतः अन्याय क्या हुआ है ? अपर आयुक्त का यह निष्कर्ष भी उचित नहीं है कि वर्ष 1942 से उभयपक्ष का नाम प्रश्नाधीन भूमि पर दर्ज चला आ रहा है, क्योंकि जैसा कि ऊपर विश्लेषण किया गया है कि वर्ष 1953–54 में पंच फैसले के अनुसार कन्हैयालाल की भूमियों पर उभयपक्ष सहित कन्हैयालाल का नाम पृथक–पृथक भूमियों पर दर्ज हो गया है । चूँकि सहखातेदार को अपने हिस्से की भूमि की वसीयत करने का अधिकार है, जैसा कि न्यायदृष्टांत 1995 जे.एल.जे. 477 जमुनाबाई विरूद्ध सुरेन्द्र

कुमार में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया है कि अविभाजित हिन्दू संपत्ति में हित वसीयत द्वारा व्यपन किया जा सकता है । अतः अपर आयुक्त का यह आधार भी अवैधानिक है कि कन्हैयालाल को अपने हिस्से की वसीयत करने का अधिकार नहीं था । यहॉ महत्वपूर्ण विचारणीय बिन्दु है कि व्यवहार न्यायालय द्वारा प्रश्नाधीन भूमियों के संबंध में गणेशीबाई द्वारा प्रस्तुत वाद आदेश दिनांक 24–12–2009 से निरस्त किया गया है, उसकी अपील भी निरस्त हो चुकी है। अतः व्यवहार न्यायालय के आदेश के पालन में तहसीलदार द्वारा दिनांक 16–9–2010 को आदेश पारित कर गणेशीबाई का नाम प्रश्नाधीन भूमियों पर से निरस्त किया गया, जिसकी पुष्टि राजस्व मण्डल द्वारा दिनांक 28–2–2013 को आदेश पारित कर की गई है । इस वैधानिक स्थिति पर अपर आयुक्त द्वारा आदेश पारित करने में विचार नहीं किया गया है। इस प्रकार अपर आयुक्त का आदेश वैधानिक एवं न्यायिक दृष्टि से उचित नहीं होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है ।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, नर्मदापुरम् संभाग, होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 10–12–2015 निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार, तहसील सिराली जिला हरदा द्वारा पारित आदेश दिनांक 18–3–2009 एवं अनुविभागीय अधिकारी, खिरकिया जिला हरदा द्वारा पारित आदेश दिनांक 16–2–2010 स्थिर रखे जाते है । निगरानी स्वीकार की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर